Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 4, June-2018, ISSN 2230-7540

अलवर ज़िले में विभिन्न उद्योगों में संलग्न बालश्रम का अध्ययन

Mahesh Chand Meena*

Associate Professor, Department of Geography, Govt. P.G. College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan

शोध पत्र सारांश – *बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं और इस कोष को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपने मनोसामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, न केवल वे परिवार जहाँ ये बच्चे पैदा होते हैं, बल्कि समाज और देश भी जहाँ वे बड़े होते हैं और रहते हैं। बाल श्रम के शोषण की यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और अभी भी समाज में एक मानव कलंक के रूप में व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, जो लोग 14 वर्ष या उससे कम उम्र में अपने शारीरिक और मानसिक विकास के साथ तालमेल से काम करते हैं, और जो वयस्कों की तरह ही रहते हैं, उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। वास्तव में, बाल श्रम दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चा अपने व्यवसाय में अपने माता-पिता के साथ घर या बाहर काम सीखता है और ऐसा करते समय उसकी / उसके पढ़ने, मनोरंजन, खेल आदि में कोई बाधा नहीं होती है। पैसे कमाने के लिए, बच्चों को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। जहाँ उनके शारीरिक, मानसिक विकास, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की देखभाल के बिना उनका ध्यान रखा जाता है। पहले प्रकार के श्रम में, बच्चे के काम का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि काम सीखना है, और दूसरा प्रकार श्रम का उद्देश्य परिवार की तत्काल आय में वृद्धि करना है, जिससे उन्हें बेहतर अवसर और भविष्य के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके। ये असली बाल मजदूर हैं।*

प्रमुख बिंदुः - *बाल श्रम की अवधारणा, विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों का वितरण, अलवर जिले में विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम, विभागों में समन्वय का अभाव, बालश्रम के कारण, बाल शोषण, समस्याएं एवं निष्कर्ष*

----------X----------

परिचय:

बाल श्रम एक प्रकार का बाल शोषण है। परिवार की सीमित आय, जीवन स्तर निम्न स्तर, परिवार का बड़ा आकार और परिवार की उपेक्षा और उत्पीड़न के परिणामस्वरूप, एक युवा बच्चा एक श्रमिक श्रमिक की स्थिति में पहुंच जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक बाल श्रम श्रमिकों को यह कहते हुए परिभाषित करते हैं - "ये वे किशोर नहीं हैं जो दिन भर में कुछ घंटे बिताते हैं और पढ़ाई करते हैं और पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं। वे भी बच्चे नहीं हैं जो वयस्कों द्वारा जीने के लिए मजबूर हैं। दस से अठारह घंटे काम करना, कम वेतन पर अधिक श्रम बेचना, बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित रहना और कभी-कभी परिवार से अलग रहना।

बड़ी संख्या में बाल मजदूर असंगठित क्षेत्रों में हैं, जो घरेलू नौकर, होटल, दर्जी, संस्थानों में कागज वितरित करने, जूता पॉलिश, सफाई, सामान, पिकअप निर्माण आदि का काम करते हैं। आज कृषि, बैगन, खदान और खनन, बीड़ी, उद्योग, ग्लास, चूड़ी उद्योग, हथकरघा और कालीन, ब्रोकेड और कढ़ाई, रत्न कटाई, मंगनी और पटाखा उद्योग, मशीन उपकरण बनाने का उद्योग, पेट्रोल पंप, काजू मसाला और जूट उद्योग, बाल श्रमिक कैंटीन, होटल, ढाबा जैसे क्षेत्रों में बहुतायत में काम कर रहे हैं, दुकान, कचरा बिन, घरेलू कामगार, भवन निर्माण, फेरीवाले, फेरीवाले, अखबार बेचने वाले, कुलीगिरी आदि बाल श्रम के संदर्भ में, यह एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है कि अधिकांश बाल श्रमिक बंधुआ मजदूरों की तरह रह रहे हैं। प्रसव के दौरान शारीरिक और मानसिक यातना उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया है।

अध्ययन क्षेत्र:

अलवर जिला उत्तर-पूर्व भारत के उत्तर-पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान प्रांत के उत्तर-पूर्व में स्थित, अलवर जिले का विस्तार 27°4 'से 28°4' उत्तरी अक्षांश और 76°7 'से 77°13' पूर्वी देशांतर तक है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 137 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक लगभग

www.ignited.in

110 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अलवर का प्राचीन नाम शाल्वपुर था, जो शहर की दीवारों और खंदक से घिरा था, इसकी विशिष्टता एक बाला पर्वत है, जो एक पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि में एक शंक्वाकार पर्वत पर स्थित है।

शोध के उद्देश्य:

1. अलवर ज़िले में उद्योगों में कार्यरत बालश्रमिकों का अध्ययन किया गया है।
2. बालकों के जीवन के महत्व का मूल्यांकन किया गया है।
3. बाल श्रम का बालकों के स्वास्थ्य पर प्रभावों का आकलन किया गया।

शोध परिकल्पना:

1. बालश्रम का स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
2. बालश्रम रोकथाम हेतु कानून बनाया गया है।

अध्ययन विधिः

अध्ययन पद्धति के रूप में प्राथमिक सूचनाओं का संग्रह मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, जिला उद्योग केन्द्र, जिला कलेक्टर कार्यालय और राजकीय और निजी औद्योगिक केंद्रों के माध्यम में किया गया है। द्वितीयक सूचनाएं जैसे पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र, सरकारी अभिलेख, मीडिया और टेलीविजन समाचार चैनल साक्षात्कार आदि का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन भौगोलिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है।

बाल श्रम की अवधारणा

सामाजिक पर्यावरण व्याख्या के अनुसार, पर्यावरण का स्तर जिसमें व्यक्ति और परिवार रहते हैं या पर्यावरण में परिवार का समर्थन बच्चों के उत्पीड़न की प्रकृति पर निर्भर करता है। घटी हुई पारिवारिक सहायता दुव्र्यवहार की संभावना को बढ़ाती है।

सामाजिक नियंत्रण व्याख्या के अनुसार, पारिवारिक संबंधों में सामाजिक नियंत्रण की कमी से उत्पीड़न की संभावना बढ़ जाती है। सामान्यताः बच्चों की पिटाई और पिटाई की घटना। अक्षम। कुरूप बच्चों में परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न और उपेक्षा की भावना होती है। संसाधन व्याख्या के अनुसार, सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक संसाधनों पर अधिकार व्यक्ति के ऊपर शक्ति का प्रयोग निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, एक पिता जो परिवार का प्रमुख व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन उसका शैक्षिक स्तर निम्न स्तर का है, फिर वह अपने बच्चों पर शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखता है।

सामाजिक संज्ञानात्मक व्याख्या के अनुसार, उनके माता-पिता के पास बच्चों की परवरिश के बारे में अपर्याप्त कौशल और ज्ञान है, जिसके कारण वे इसे एक जटिल कार्य समझते हैं। इस असफलता के कारण वे अपने बच्चों पर अत्याचार करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में 300 मिलियन बच्चों में से 4.44 करोड़ बाल श्रमिक के रूप में विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं। देश का हर सातवां बच्चा बाल श्रमिक के रूप में पैदा हुआ है। एक दुखद पहलू यह है कि हमारे देश में, दुनिया में ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं। हर साल लगभग 11.5 लाख 'अवैध बच्चे' पैदा होते हैं, जिनमें से ज्यादातर 5-6 साल बाद बाल मजदूर बन जाते हैं।

बाल मजदूर अधिक काम करने वाले, असुरक्षित, जोखिम भरे काम करने की स्थिति में और कम मजदूरी पर जीवन व्यतीत करते हैं। ये वे बच्चे हैं जो बचपन को नहीं जानते हैं। हमारा संविधान कहता है किः

- कोई भी बच्चा, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उसे कारखानों में या खतरनाक कामों में रखा जाएगा (अनुष्का -24)।
- बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक शोषण (अनुच्छेद 39थ्) से बचाया जाएगा।
- 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्यों को प्रयास करने होंगे।

www.ignited.in

भारत जैसे देश में जहां 40 प्रतिशत आबादी बहुत गरीब है, बाल श्रम एक जटिल मुद्दा है। बच्चों में अपराध बोध को दबाने का तर्क देता है। वे कहते हैं कि बच्चों को रोजगार योग्य बनाकर भुखमरी को दूर किया जा सकता है। नौकरशाह सोचते हैं कि बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन अव्यवहारिक है क्योंकि सरकार ने उनके लिए कोई ठोस विकल्प नहीं बनाया है। सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि बाल गरीबी श्रम का मुख्य कारण है। ऐसी स्थिति में बच्चे पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं या वे अपने परिवार में आय का एकमात्र स्रोत होते हैं। बाल श्रम का एक अन्य कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता है। बाल श्रम का एक अस्तित्व भी है क्योंकि उद्योग उनसे लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के लिए, 1990 में, 75,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में बाल श्रमिक के रूप में लगे हुए थे, जिन्होंने 300 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों का वितरण:

भारत की 38.4 प्रतिशत ठंडी आबादी 15 साल से कम उम्र की है। 1991 की जनगणना के अनुसार, 0-4 वर्ष की आयु के 35.7 प्रतिशत बच्चे हैं, 5-9 वर्ष के आयु वर्ग में 34.3 प्रतिशत और 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में 30 प्रतिशत, कुल जनसंख्या में से , 3080 लाख हैं। अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों के हैं, जो आर्थिक मजबूरी के कारण श्रम शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। योजना आयोग के आकलन के अनुसार, 1981 और 1990 के बीच कामकाजी बच्चों की संख्या में 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 135 लाख से बढ़कर 1160 लाख हो गई है। है । भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1023 लाख परिवार रहते हैं। जिनके 34.7 प्रतिशत कामकाजी बच्चे हैं। 79 प्रतिशत कामकाजी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। 2/3 कामकाजी बच्चों की आयु 12-15 वर्ष से कम है।

बाल श्रमिकों के वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ 22 लाख, जम्मू-कश्मीर कालीन उद्योग में 1 लाख, शिवकाशी आतिशबाजी और मैच उद्योग में 1 लाख बच्चे, फिरोजाबाद, आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग में 1 लाख बच्चे हैं। उद्योग में 30000 बच्चे, लखनऊ में चिकन के काम में 50000, भदोही के कालीन उद्योग में 1 लाख 25 हजार बच्चे, सहारनपुर लकड़ी उद्योग में 10 हजार बच्चे और मिर्जापुर में 8,000 बच्चे और वाराणसी के रेशम उद्योग में 5000 बच्चे काम करते हैं। मजदूर के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं पर विकास के प्रभाव से संबंधित एक अध्ययन में पाया गया कि 6-11 वर्ष की आयु वर्ग में 35.5 प्रतिशत लड़कियां और 11.1 न्यूनतम वर्ष की आयु वर्ग में 52 प्रतिशत लड़कियां विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी थीं। गतिविधियों। बाल मजदूर भी बंधुआ मजदूरों के होते हैं। आंध्र प्रदेश में 21 प्रतिशत, कर्नाटक में 10.3 प्रतिशत, तमिलनाडु में 8.7 प्रतिशत बच्चे बंधुआ मजदूर हैं जो 16 वर्ष से कम उम्र के हैं। उड़ीसा में 8-10 साल की लड़कियों को बेचने का कारोबार भी प्रकाश में आया है, जिसे घरेलू नौकरानियों के रूप में लेनदारों ने खरीदा है। देश के कुछ हिस्सों में, बंधुआ मजदूर जो 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं, विभिन्न कारणों से अपने बच्चों को उनके स्थान पर नियुक्त करते हैं।

अलवर जिले में विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम:

अलवर में श्रमिकों के हितों के लिए काम करने वाले श्रमिक संगठन श्रमिकों के हितों की बात करते हैं, लेकिन श्रमिकों के बच्चे जो बाद में श्रम कार्य में शामिल हो जाते हैं या गरीबी के कारण बाल श्रम करने के लिए मजबूर होते हैं। इन बच्चों के बचपन को बचाने के लिए न तो श्रमिक संगठन और न ही संबंधित विभाग कोई पहल कर रहे हैं। यहां तक कि बच्चों के हितों के लिए काम करने वाले संगठन भी इन बाल श्रमिकों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे कभी भी अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। अलवर जिले में 15 दिसंबर 2017 से

31 जनवरी 2018 के बीच गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण में, जिले में 646 बाल श्रमिकों की पहचान की गई है। महज दो महीने की अवधि में इतनी बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को चिह्नित करना यह स्पष्ट कर रहा है कि जिले में बाल श्रम हो रहा है।

13 अप्रैल, 2018 को, जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों की बैठक के साथ, संबंधित बाल श्रमिकों को 17 सरकारी योजनाओं को जोड़ते हुए, ईंट भट्टों के सर्वेक्षण के संबंध में संबंधित विभागों की एक बैठक जारी की थी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राजस्थान के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कोल्ड डिंरक की फैक्ट्री से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा आठ बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है।

चाइल्डलाइन अलवर के समन्वयक सतीश चंद चौधरी ने बताया कि तस्करी रोधी इकाई और चाइल्ड लाइन की टीम ने आज उद्योग नगर के ईपीआईसीयू एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में सुबह 9.15 बजे कंपनी में काम करने वाले पांच लड़कों और तीन लड़कियों को मुक्त कराया।

श्री चौधरी ने बताया कि बाल श्रमिकों ने टीम को बताया कि वे सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक काम करते हैं और दोपहर में केवल भोजन छोड़ देते हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें ठेकेदार कमल राजपूत निवासी धडोली और महेश निवासी निठारी द्वारा काम पर लाया गया है। उनके यूनिट हेड सतीश कुमार सिंह हॉल निवासी वैशाली नगर थाना उद्योग नगर अलवर, और कमल राजपूत और निठारी निवासी महेश काम करवाते हैं।

उनमें से, दो लड़के और दो लड़कियाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के मदम गाँव और अलवर जिले के सदापुर, चोरोती पहाड, खेड़ली सैयद, आदि के आसपास के गाँवों के निवासी हैं। एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी सागरमल द्वारा बच्चे के नियोक्ता, उद्योग के मालिक, यूनिट मैनेजर और दोनों काम पर रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंघल के समक्ष पेश किया गया, जहां लड़कियों को मदर टेरेसा शिक्षा समिति गर्ल्स होम और बच्चों को ठाकुरदास चिल्ड्रन शेल्टर होम भेजा गया।

20 मई 2017 को, टीम ने चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वावधान में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें बाल कल्याण समिति और अलवर में तस्करी विरोधी इकाई शामिल थी। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों से 15 बच्चों को बचाया गया, जो मंदिर और चैकों के पास भीख मांग रहे थे। पकड़े गए बच्चों को चाइल्ड लाइन में पूछताछ की गई और बच्चों के परिवार के सदस्यों को बुलाया गया और उन्हें भिखारी बनने के लिए प्रेरित नहीं किया गया।

विभागों में समन्वय का अभाव:

अलवर जिला देश का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। बाल श्रम के लिए श्रम विभाग, समाज कल्याण, बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी रोधी इकाई, चाइल्ड लाइन, बाल श्रम कार्य समिति, आदि शामिल हैं। लेकिन इन विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी के कारण, अलवर जिले में बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। विभागों को यह भी पता नहीं है कि कौन सी योजना किस विभाग में चल रही है। इन बाल श्रमिकों का लाभ। अलवर जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों, उद्योगों, कल

www.ignited.in

कारखानों और छोटे कारखानों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत किसी भी कारखाने, कारखाने या अन्य उद्योग में काम पर नहीं रखा जा सकता है। अगर नियोक्ता दोषी पाया जाता है, तो 20 हजार या उससे अधिक का जुर्माना या 6 साल तक की सजा हो सकती है। यदि 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोर कारखाने में काम करते हैं, तो उन्हें नियोक्ता से चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

बाल श्रम के कारण:

यूनिसेफ के अनुसार, बच्चों को नियोजित किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। गरीबी आमतौर पर सबसे पहले उन कारणों में से है जो बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों की अनुपलब्धता, माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं (वे अपने बच्चों को स्कूल के बजाय काम करने के लिए भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि परिवार की आय में वृद्धि हो) कारणों। और अगर बाल श्रम ही एक परिवार के रखरखाव का एकमात्र आधार है, तो कोई क्या कर सकता है, जनता और सरकार दोनों को इस स्थिति को एक गंभीर समस्या के रूप में स्वीकार करना होगा तभी इसका समाधान संभव होगा।

बाल शोषण:

सरकार और जनता की उदासीनता के कारण बाल शोषण की समस्या के आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं। भारत में, गरीबी - अशिक्षा और परिवार के बड़े आकार आदि के कारण, बच्चों को माता-पिता / अभिभावकों और नियोक्ताओं द्वारा परेशान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण के अनुसार, पारस्परिक असामान्यताएं, मानसिक बीमारियां और व्यक्तिगत विकार बच्चे के दुरुपयोग के मुख्य कारण हैं। माता-पिता द्वारा एक बच्चे का उत्पीड़न उसकी भावनात्मक जरूरतों के पागलपन से संबंधित है। बच्चों की जरूरतों और उनकी खुद की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता का अभाव, अपने ही उत्पीड़ित या वंचित परिवार की पृष्ठभूमि से प्राप्त होने वाले स्नेहपूर्ण संकेत माता-पिता द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक व्याख्याओं के अनुसार, संरचनात्मक तनाव और सांस्कृतिक पैटर्न उत्पीड़न और हिंसा के मुख्य कारण हैं। कम आय, बेरोजगारी, अलगाव, अनचाहे गर्भ और तनाव संबंधी तनाव संरचनात्मक तनाव के कारण हैं, जो घर में बच्चों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं।

बाल श्रम की स्थिति और समस्याएं:

इस समस्या के मूल कारणों में से गरीबी से इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस विषय पर कई शोधों से यह बात सामने आई है कि केंद्र में गरीबी कम है और उत्पादकों और नियोक्ताओं के हित में ज्यादा स्वार्थी है। बाल श्रम सस्ता है और किसी भी तरह के विरोध (आंदोलन, धरना, हड़ताल) की उम्मीद कम है। उनका शोषण वयस्कों की तुलना में आसान है। एक अनुमान के अनुसार, यदि किसी कारखाने में सभी श्रमिक बच्चे हैं, तो लाभ 25 प्रतिशत बढ़ जाता है। विभिन्न खानों में 56 प्रतिशत बाल मजदूर हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है। इसका कारण यह है कि उनकी ऊंचाई और वजन उस स्थिति के अनुकूल होते हैं, उन्हें आसानी से गहराई में भेजा जा सकता है।

चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, 7-14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को कारखानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 10-15 घंटे के काम के लिए केवल एक या दो रुपये मजदूरी मिलती है। सोशल हार्मनी फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा बाल श्रम पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में लगभग 3 लाख बच्चे हर दिन 12-15 घंटे कड़ी मेहनत करके दो से तीन रुपये कमाते हैं। यूनिसेफ के अनुसार, दिल्ली में चार लाख बच्चों को मजदूर के रूप में नहीं गिना जाता है, लेकिन वे परिवार की आजीविका कमाने के लिए अपने हाथों को साझा करते हैं। हजारों बच्चों को रात में सोने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है। दिल्ली में ऐसे भटकते बच्चों की संख्या लगभग एक लाख है। ऐसे हजारों बच्चे रेलवे

स्टेशन, बस स्टॉप, पार्क, सार्वजनिक भवनों और ऐतिहासिक इमारतों के खंडहरों में रात बिताते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, जिन्हें 12-16 घंटे के काम के लिए प्रति माह 50-150 रुपये दिए जाते हैं। मजदूरी मिलती है। कलकत्ता में, 20.5 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं, जिनकी औसत 50 से 100 रुपये है। हर महीने मजदूरी मिलती है जबकि 20.6 प्रतिशत को मजदूरी भी नहीं मिलती है।

विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले बाल मजदूर 20-25 वर्ष की आयु में किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं, कुपोषण, पत्थर, धूल, कांच, आदि के कण, फेफड़ों में जमा, उच्च तापमान में तीन से चार साल के भीतर काम करना, खतरनाक रसायनों के संपर्क में होना, वे विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। क्षय रोग, दमा, चर्मरोग, नेत्र रोग, स्नायविक रोग, विकलांगता आदि के कारण 20 वर्ष की आयु तक बहुत से बच्चे रोगग्रस्त हो जाते हैं।

बाल श्रमिकों की स्थितियों और समस्याओं से संबंधित विभिन्न अध्ययनों में कुछ चैंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं -

बाल श्रम समस्या की जड़ में गरीबी कम है, लेकिन अधिक मालिकों या नियोक्ताओं का निहित स्वार्थ है।

कम वेतन में कम घंटे काम करके उनका शोषण किया जाता है। उन्हें अतिरिक्त काम के लिए न तो छुट्टी दी जाती है और न ही अतिरिक्त वेतन।

उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी के कारण, कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के कारण, बच्चे समय से पहले विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं।

बाल श्रमिकों को अक्सर असंगठित और निजी उद्योगों में नियोजित किया जाता है जहां वे निषेधात्मक कानून की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए उनके पास श्रमिक संगठन भी नहीं होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में उनका आसानी से शोषण होता है।

निष्कर्षः

बाल शोषण के कई दुष्प्रभाव परिलक्षित होते हैं। जैसे, आत्म-अवमूल्यन, निर्भरता या निर्भरता, अलगाव, अविश्वास, अंत-व्यक्तिगत समस्याएं, विचलित व्यवहार, मानसिक आघात आदि उत्पीड़ित लड़के अपने बारे में नकारात्मक विचार विकसित करते हैं। निर्भरता के कारण, उसके पास अपने माता-पिता, अभिभावकों और नियोक्ता के उत्पीड़न को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पारगमन तब परिलक्षित होता है जब बच्चा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अन्य लोगों पर निर्भर होता है। इस निर्भरता को शारीरिक जरूरतों (भोजन, कपड़े, दवा), भावनात्मक और सामाजिक समर्थन और कमाई के लिए कहीं और काम करने की आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि उत्पीड़न का मुख्य प्रभाव एक बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक अपेक्षाओं पर होता है और बड़ी संख्या में उत्पीड़ित बच्चों को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। स्कूल के भागने, काम से बचने, नशा, चोरी और अन्य अपराधों में बालकों के व्यवहार परिलक्षित होते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अधिवास भूगोल, डॉ. रामयज्ञ सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
2. सांस्कृतिक भूगोल, डॉ. गायत्री प्रसाद, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
3. नगरीय भूगोल, डॉ. सुरेश चन्द्र बंसल, मिनाक्षी पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. भारत में नगरीय समाज, रिया खत्री, कैलाश पुस्तक भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
5. सामाजिक भूगोल, डॉ. एस. डी. मौर्य, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश
6. नगरीय समाज शास्त्र, डॉ. वी. एन. सिंह, रावत पब्लिकेशन, जयपुर-नई दिल्ली
7. G.S. Mohanty, Social and Cultural Geography, New Delhi
8. जनसँख्या भूगोल, डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उत्तरप्रदेश
9. कार्यालय, रीको, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर
10. जिला कलेक्टर कार्यालय, अलवर
11. निजी औद्योगिक संस्थान, अलवर

www.ignited.in

12. समाज कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय, जयपुर

13. सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, अलवर

14. जिला उद्योग केन्द्र, अलवर

Corresponding Author

Mahesh Chand Meena*

Associate Professor, Department of Geography, Govt. P.G. College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan